भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नक संख्या2533
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्त3र के लिए

अनाथालय

2533. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनाथालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) देशभर में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अनाथालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनाथालयों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोग कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित उक्त अनाथालयों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अनाथ व्यक्ति रह रहे हैं?

उत्त

श्रीमती स्मृतति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चोंज , जिनमें अनाथ / परित्यीक्तस/अभ्यीर्पित बच्चेक शामिलक्हैं,के समग्र विकास के लिए एक सुरक्षित और सुनिश्चिित पर्यावरण निर्मित करने के उद्देश्यृ से राज्यभ सरकारों/संघ राज्ये क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीसय सहायता उपलब्धस कराने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्की्म अर्थात "बाल संरक्षण सेवा स्कीेम (सीपीएस) " (पूर्वकालीन समेकित बाल संरक्षण स्कीकम) का कार्यान्व यन कर रहा है। सीपीएस के तहत राज्यस सरकारों/संघ राज्यत क्षेत्र प्रशासनों को स्वकयं ही या स्वैकच्छिाक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ) के सहयोग से विशिष्टीएकृत दत्तनकग्रहण एजेंसियों(एसएए) सहित बाल देखरेख संस्थांनों(सीसीआई) की स्थाकपना और प्रबंधन करने के लिए वित्ती य सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे गृहों में कार्यरत व्यिक्तीयों का विवरण केंद्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि , बाल गृहों के लिए 50 बच्चोंह की इकाई के लिए 10 कर्मचारियों और एसएए के लिए 10 बच्चोंत की इकाई पर 11 कर्मचारियों के लिए सीपीएस स्कीमम के तहत वित्तीयय सहयोग दिया जाता है। सीपीएस के तहत सहयोग प्राप्तह करने वाले निवासी बच्चों सहित एसएए समेत बाल देखरेख संस्थायनों की राज्यए/संघ राज्यह क्षेत्र-वार कुल संख्या **अनुलग्नतक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नलक

'अनाथालय' विषय पर श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्ना संख्या 2533 के उत्तहर के भाग(क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नेक

(फरवरी, 2020 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्यर/संघ राज्या क्षेत्र	बाल गृह	लाभार्थी	विशिष्टीकृत दत्तजकग्रहण एजेंसियां	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	50	2667	14	140
2	अरुणाचल प्रदेश	4	155	1	10
3	असम	45	1470	21	72
4	बिहार	13	599	13	132
5	छत्तीसगढ़	43	1687	12	95
6	गोवा	16	555	2	16
7	गुजरात	46	1521	13	132
8	हरियाणा	20	1027	7	52
9	हिमाचल प्रदेश	30	1236	1	15
10	जम्मू और कश्मीर	10	542	2	0
11	झारखंड	28	910	12	92
12	कर्नाटक	62	2949	25	319
13	केरल	18	680	11	222
14	मध्य प्रदेश	46	2301	26	243
15	महाराष्ट्र	19	572	17	170
16	मणिपुर	37	1080	7	55
17	मेघालय	37	802	4	5
18	मिजोरम	35	1041	7	26
19	नागालैंड	25	506	4	5
20	ओडिशा	89	6767	25	250
21	पंजाब	13	439	6	77
22	राजस्थान	61	3005	21	211
23	सिक्किम	14	476	4	20
24	तमिलनाडु	187	12450	20	200
25	त्रिपुरा	19	710	6	49
26	उत्तर प्रदेश	45	1754	25	247
27	उत्तराखंड	7	317	2	15
28	पश्चिम बंगाल	59	3486	23	326
29	तेलंगाना	31	1017	11	320
30	अंडमान और निकोबार	10	401	2	10
31	चंडीगढ़	5	230	2	17
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	10
33	दमन और दीव	1	25	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23	1290	3	59
36	पुडुचेरी	25	1040	2	16
	कुल	**1173**	**55707**	**352**	**3628**